

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रौरकणा
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान नायडा

—:आदेश:—

नायडा प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी नायडा व भू.अ.नि.
की रिपोर्ट तथा नायडा तहसीलदार नायडा की अचूकता के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नायडा तहसील रौरकणा जिला
उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खाता संख्या 70 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>नायडा</u>	<u>70</u>	<u>देवा पुत्र रामा भोल</u>	<u>देवीलाल पुत्र रामा भोल</u>

(नायडा उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, रौरकणा)

कमांक :- 2021/698

दिनांक :- 03/12/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, रौरकणा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री देवीलाल पुत्र रामा भोल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(नायडा उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, रौरकणा)

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदयजी

ग्राम लफोडा की जमावेदी सवत 2015-18 में खाना - 70 के
अंतर्गत देवा पुज रामा के नाम की भूमि के नाम इन रिजिस्ट्री जबकि
आधारकार एव अन्य दस्तावेज के द्वारा नाम देवीलाल पुज रामा है
अतः इस आधार पर प्राप्ति का नाम देवा पुज रामा के अग्राम
देवीलाल पुज रामा किम जाना उचित है

Dinesh
01/12/21
ILR बडला

No. 10
1. 11. 21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट भू.अ.नि. व पटवारी के आधार पर राजस्व लफोडा में खाना 70
में देवा पुज रामा के अग्राम देवीलाल पुज रामा किम जाने की अकिरांवा
की जाती है

[Signature]
तहसीलदार-खेरवाड़ा
जिला-उदमपुर

आदेश

तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व लफोडा
के खाना 70 में देवा पुज रामा के अग्राम देवीलाल पुज रामा करने
की स्वीकृति दी जाती है

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा जिला उदमपुर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी